न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 157/2016

बउनवान

चन्द्रमोहन पुत्र श्री नन्दलाल, जाति धाकड़, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील बारां, जिला–बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मदन [illegible] अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 05.08.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बावड़ीखेड़ा तहसील–बारां की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 670/92 रकबा 0.19 है., पर अतिक्रमी मानकर 39/– रूपये शास्ति एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना अपना पक्ष रखने का अवसर दिये ही तलबी की दिनांक को ही बिना सुनवाई किये निर्णय पारित किया है जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गयी। अपीलांट की भूमि की पैमाइश भी नहीं की जिससे यह साबित हो कि उसने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा हो। अपीलांट को कभी भी उक्त आराजी से कभी भौतिक रूप से बेदखल नही किया गया है। अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से चली आ रही जमीन ही जोतता है। वादग्रस्त आराजी बंजड़ सिवायचक है तथा अपीलांट की जमीन के पास भूपट्टी के रूप में मौजूद है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2014 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार बारां द्वारा टीम गठन कर गहनता से सर्च करने के उपरान्त भी वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर अभिलेख भिजवाने में असमर्थता प्रकट की। इस पर हमने पत्रावली में संलग्न रेकार्ड के आधार पर ही प्रकरण में बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:43 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते

हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। मात्र प्रमाणित प्रति निर्णय में संवत 2070 में अतिचार करने पर प्रकरण संख्या 72/2014 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2014 से बेदखली की कार्यवाही किये जाने का अंकन है। ऐसी स्थिति में हम अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 665/14 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:43 IST
Reason: SelfAttested